

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]  
No. 167]

दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2009/कार्तिक 6, 1931  
DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2009/KARTIKA 6, 1931

[ रा.रा.क्षे. दि. सं. 211  
[N.C.T.D.No. 211

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2009

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD  
DEVELOPMENT  
NOTIFICATION

Delhi, the 28th October, 2009

सं. फा. 1(4)/एफएस/डब्ल्यूडीएम डीएसडब्ल्यू/2005-06/28175-185.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गरीब विधवाओं तथा अनाथ लड़कियों के विवाह नियमावली, 2006 वित्तीय सहायता में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

नियम 6(4)(ग) में संशोधन

उक्त नियमावली के नियम 6(4)(ग) में "अधिकार क्षेत्र के राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र" शब्दों के स्थान पर "आवेदक की आय के संबंध में स्व-घोषणा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

देबाश्री मुखर्जी, सचिव (समाज कल्याण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग)

No. F. 1(4)/FAS/WDM DSW/2005-06/28175-185.—The Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendment in Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls Rules, 2006:

Amendment in rule 6(4)(c)

In rule 6(4)(c) of the said Rules the words "Income certificate issued by revenue authority of jurisdiction" the words "A self-declaration with regard to the income of the applicant" shall be substituted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

DEBASHREE MUKHERJEE, Secy. (Social Welfare and Women and Child Development)

## विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

## अधिसूचना

दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2009

सं. फा. 1/35/विधि/03-न्यायिक/पार्ट फाईल/1930-1935.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति पर श्री ओ.पी. गुप्ता, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को अपने कार्यभार के अतिरिक्त विशेष मामले के रूप में दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण के पास लम्बित अपील संख्या 14/94-सुनील सीकरी बनाम गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल एवं अन्य के निपटान के लिए एतद्वारा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 11 के अन्तर्गत शक्तियां प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सविता राव, संयुक्त सचिव (विधि)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND  
LEGISLATIVE AFFAIRS

## NOTIFICATION

Delhi, the 28th October, 2009

No. F. 1/35/Misc./03-Judl. /Pt. file/1930-1935.—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendation of Hon'ble the Chief Justice of the Delhi High Court, is pleased to confer the power under Section 11 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) upon Shri O. P. Gupta, an officer of the Delhi Higher Judicial Service as a special case, to deal with the Appeal No. 14/94-Sunil Sikri Vs. Guru Harkishan Public School and Ors., pending before the Delhi School Tribunal, in addition to his own work.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,

SAVITA RAO, Jt. Secy. (Law)

## शहरी विकास विभाग

## अधिसूचना

दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2009

सं. फा. 16(1)/पी.एफ.-1/श.वि. (जल)/2000/1486.

—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 4, 1998) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल निम्नलिखित नियम पार्षदों को दिल्ली जल बोर्ड, जिसका गठन अधिनियम संख्या फा. 16(1)/श.वि./दि.ज.बो./98-99/4199, दिनांक 6 अप्रैल, 1998 के तहत किया गया था, का सदस्य उस तिथि से नियुक्त किया जाता है, जिस दिन वह अपना कार्यभार संभाल ले, जो कि निम्नलिखित है :—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अधि. के तहत नियुक्ति
1.	श्री विजय प्रकाश पाण्डे	सदस्य	3(2)(iv)
2.	श्री देवेन्द्र मोहन कत्याल	सदस्य	3(2)(iv)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

आर. सी. मीणा, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT  
NOTIFICATION

Delhi, the 28th October, 2009

No. F. 16(1)/P.F.-I/UD(W)/2000/1486.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Act 4 of 1998), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints the following Municipal Councillors as Member in the Delhi Water Board, Delhi constituted *vide* this Government's Notification No. F. 16(1)/UD/DWB/98-99/4199, dated 6th April, 1998, with effect from the date of they assume charge of their respective offices, namely :—

Sl. No.	Name	Designation	Provision of Act
1.	Sh. Vijay Prakash Pandey	Member	3(2)(iv)
2.	Sh. Devender Mohan Katyal	Member	3(2)(iv)

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the  
National Capital Territory of Delhi,

R. C. MEENA, Jt. Secy.